

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 221

मंगलवार, 19 जुलाई, 2022/28 आषाढ़, 1944 (शक)

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा नई पेंशन योजना के संबंध में व्यय विभाग से मांगी गई
टिप्पणियाँ

221. श्री नीरज शेखर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्ल्यू) ने उच्चतम न्यायालय के संबंधित विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कर्मचारियों, जिनकी भर्ती संबंधी विज्ञापन 01/01/2004 से पहले जारी किए गए थे, को नई पेंशन योजना (एनपीएस) के दायरे से निकाल कर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के अंतर्गत शामिल करने के लिए व्यय विभाग (डीओई) की टिप्पणियाँ माँगी हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या व्यय विभाग ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर दी हैं;
- (घ) यदि हाँ, तो टिप्पणियों का पूर्ण व्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) : जी, नहीं।

(ख) से (ङ.) प्रश्न नहीं उठता।

Ministry of Finance
Department of Expenditure

RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION NO.221

TO BE ANSWERED ON, 19TH JULY, 2022/ASHADHA 28 1944 (SAKA)

COMMENTS SOUGHT BY DOP&PW FROM DOE ON NPS

QUESTION

221: Shri Neeraj Shekhar:

Will the Minister of *Finance* be pleased to state:

- (a) whether Department of Pension and Pensioners Welfare (DoP&PW) has sought comments of Department of Expenditure (DoE) to exclude those officials from the purview of New Pension Scheme (NPS) and to cover them under Old Pension Scheme (OPS) whose advertisements for recruitment were issued before 01/01/2004 in view of various Supreme Court judgments in this regard;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) whether DoE has furnished its comments to DoP&PW;
- (d) if so, the full details of the comments; and
- (e) if not, the reason for delay?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR FINANCE

(SHRI PANKAJ CHOUDHARY)

- (a) No Sir.
- (b) to (e) Does not arise
